दैनिक भास्कर

बरामदगी:ब्रांडेड शराब की स्टिकर व कैप लगा बनाई जाती थी नकली शराब, आरोपी को जेल

- पुलिस ने नईसराय के थालसा होटल के मालिक के घर से की बरामदगी

शहर के नईसराय के थालसा होटल के मालिक के घर छापेमारी में शराब की री-बॉटलिंग के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी विद्या शंकर ने बताया कि सूचना मिलने के बाद उनके नेतृत्व में थालसा होटल मालिक के घर में छापेमारी की गई। यहां,अवैध ढंग से बना नकली शराब, बोतल, सीलिंग, ढक्कन, स्टीकर आदि सामान बरामद किया। वहीं, मालिक विनेदिक कच्छप को गिरफ्तार कर पूछताछ में री-बोटलिंग धंधा का खुलासा हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि नकली शराब को विभिन्न ब्रांड का स्टीकर लगाकर बोतल में भर कर सप्लाई किया जाता था।

छापेमारी में किंग गोल्ड का 750 एमएल का 39 बोतल शराब, मैकडोवल का 180 एमएल का 13 बोतल और 119 पीस ढक्कन, इंस्पायर ब्लू का 43 पीस ढक्कन, सेग्रम का 11 पीस ढक्कन, मैक्डोवल का स्टीकर का 26 कलेंडर, रॉयल स्टेज का स्टीकर 11 कलेंडर, इंस्पायर ब्लू का स्टीकर 02 कलेंडर और झारखंड सरकार का टैक्स स्टीकर 30 पीस बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में थाना कांड संख्या 31/2021 के तहत नईसराय निवासी विनदिक कच्छप पर धारा 420, 272,273 भादवि और 47(ए) उत्पाद अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कानूनी कागजी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी विनदिक कच्छप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Source: https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/ranchi/ramgarh/news/branded-liquor-was-made-with-stickers-and-caps-fake-liquor-accused-jailed-128184420.html